उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

चालक / परिचालक हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया"

✓ क्या करें !

निर्धारित यूनिफार्म पहनकर ही बस चलायें।

यातायात नियमों का पूर्णतः अनुपालन करें।

स्थानीय "Speed Limit" मानकों को ध्यान में रखते हुए बस चलायें

यात्रियों के प्रति सम्मानजनक सहयोगात्मक और सेवाभाव से व्यवहार करें।

स्कूल, अस्पताल, व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र तथा कॉरिडोर आदि स्थानों पर ध्यानपूर्वक/सावधानी से बस चलायें।

बस को हमेशा साफ- सुथरा रखें और नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित करायें।

एम्बुलेन्स, स्कूल बस, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए वाहन को पहले जाने हेतु कर्तव्यत्त दिया जायें।

चालक शारीरिक स्वास्थ्य उचित रहने की दशा में ही बस चलाये।

बस को सदैव दुरूस्त रखें और सड़क पर परेशानी और दुर्घटना से बचें।

✗ क्या न करें !

बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें।

मादक पदार्थ का सेवन कर बस कदापि न चलायें।

निर्धारित स्टापेज के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बस न रोकें।

कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक न करें।

निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन कदापि न करें।

नींद आने या ज्यादा थकान होने की दशा में बस न चलायें। थोड़ी देर रूककर, विश्राम कर एवं चाय पीकर आगे बढ़ें।

13 बिन्दुओं की सुरक्षा जांच के बिना लम्बे रूट के बसों को न निकालें।

बस में अनाधिकृत और अवैध सामानों / अग्निकारक सामग्रियों को कभी न ले जायें।

कभी भी जल्दबाजी में बस न चलायें।

बस को सड़क के बीचोबीच कभी न खड़ी करें। सड़क के किनारे इण्डिकेटर लाईट जलाकर रोकें।

यात्रियों से अपीलः

दुर्घटनाओं अथवा असुरक्षित संचालन व अन्य आकस्मिक स्थितियों में विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 1800-180-2877 एवं Whats app Number -9415049606 पर सूचित करना निवेदक है, ताकि समस्या का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

Downloaded from www.upsrtc.com